[Shri Bhanu Pratap Singh.]

Every effort is being made to alleviate the sufferings of the people of Andhra Pradesh.

3 P.M.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Sir, may I make one small suggestion that one of the Ministers from the Centre, preferably my hon. friend, Mr. Bhanu Pratap Singh, may be good enough to go there expeditiously by a plane and then go over the affected area by a helicopter and in that way gain a firsthand impression and knowledge of not only the extent of the damage but also the nature of the damage so that it would be easier for him to understand whatever report that would be coming from the State Government and then give all the possible assistance to the local Government? I may also inform my hon. friend that six of us, Members of Parliament from both the Houses, propose to go down there during the coming week-end on Friday, Saturday and Sunday and try to reach as many places as possible and come back and also submit our own report to the Union Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I have myself thought to go there but day after tomorrow, I have to give replies on behalf of the Agriculture Ministry. That is what is detaining me. As soon as I am free from this duty, I propose to go to Andhra Pradesh.

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, सदन में यह भी रिपोर्ट आनी चाहिए कि पहले से सूचना होते हुए भी. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): We are not discussing the statement.

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : डिसकशन नहीं श्रीमन्, यह रिपोर्ट आनी चाहिए कि पहले से सूचना होते हुए भी एक हजार आदमी मारे गये, तो इसके लिये एडिक्वेट प्रीकाशन लिये गये या नहीं लिये गये ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): That is already there in the statement.

---

**MOTION RE FIFTEENTH AND SIXTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA**—Contd.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही निराशा और चिन्ता की बात है कि भाषायी अल्पसंख्यकों की 1972-73, 1973-74 की रिपोर्टों पर हम 1977 के आखिर में विचार कर रहे है। यदि पालियामेंट भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने का मौका नहीं पायेगी तो फिर इस बात की गारंटी नही हो सकती है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। इसलिए सब से पहले मेरा जो निवेदन है वह यह है कि संसदीय कार्य मंत्री मौजूद है कि पालियामेंट साल में करीब 150 दिन बैठती है और 150 दिनों में कम से कम एक दिन भाषायी अल्पसंख्यको के समस्याओं पर, उनकी रिपोर्ट पर विचार करें। तब जबकि हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यक सिर्फ उर्दू की भाषा के लोग नहीं है। जब से भाषावार राज्यों की स्थापना हुई है, पुनर्गठन हुआ है तब से हम समझते है कि तमाम राज्यों को मिला कर 10-12 करोड़ लोग भाषायी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते है। उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में उनको संरक्षण दिये गये हैं, उनके ऊपर विचार करना पालियामेंट का एक बहुत ही अहम कर्त्तव्य है। इसलिए हमारा पहला अनुरोध यह है कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हर साल कम से कम एक दिन तो हमें अवश्य निकालना चाहिए ताकि हम भाषायी अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट पर विचार कर सकें। जहां तक रिपोर्टों का सवाल है रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल फट जाता है। दोनों रिपोर्टों से मालूम होता है कि हमारे

संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार दिए गए हैं और संविधान में ही नहीं बल्कि देश के तमाम मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था कि भाषायी अल्पसंख्यकों के जो संवैधानिक अधिकार है उनको कैसे लागू किया जाये उसके सिलसिले में जो कुछ सर्व-सम्मत कार्यक्रम तैयार किया गया, तमाम की अवहेलना हो रही है। यह दोनों रिपोर्टें भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा और अवहेलना की रिपोर्टें हैं। हालत यहा तक पहुंची है कि बेचारा कमिश्नर लिखता है, वह स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है तो वे परवाह नहीं करतीं। राज्य सरकारें परवाह नहीं करती है। उनके सवालों का जवाब नहीं देती हैं। आंकड़े मांगते हैं तो आंकड़े नहीं मिलते हैं। यह तो बेचारा एक असहाय मालूम होता है। उसके साथ रोने की तबियत करती है। जितना भी चाहे प्राइमरी एजुकेशन का सवाल हो, सैकेंडरी एजूकेशन का सवाल हो, अपनी ज़बान में दरख्वास्त देने के अधिकार का सवाल हो, इनके मुताबिक जो रिपोर्ट है वह बहुत ही निराशाजनक है और मंडल जी को खुशी होगी यह तो कांग्रेसी शासन के समय की है इसलिए हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं। लेकिन यह कांग्रेसी शासन या जनता पार्टी के शासन का सवाल नही है और हम समझते हैं कि इसको पार्टी का सवाल बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वही सवाल अब भी जारी है बल्कि हम तो यह कहेंगे अब उस सिलसिले में और भी तेजी की जा रही है इसलिए इसको पार्टी के झगड़े का सवाल न बना कर देखें। जिन चीजों को हमने संविधान में स्थान दिया है और बहुत ही समझ-बूझ कर दिया है उनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है और अभी हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम उन घटनाओं और उदाहरणों में नही जाना चाहेंगे जो इन दोनों रिपोर्टों में भरे पड़े हैं। हम कुछ हाल की बातो को लेंगे। हम जिस प्रदेश से आते हैं मंडल जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। अभी, मान्यवर, त्रिभाषी फार्मूला जो स्वीकृत किया गया था जब से बिहार में नयी सरकार आयी है तब से उस त्रिभाषी फार्मूले से उर्दू को निकाल दिया गया है। कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश जहा पर कि उर्दू भाषा भाषियों की बहुत बड़ी संख्या है. . .

**श्री सिकन्दर वली वज्द** (महाराष्ट्र) : 80 लाख।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : हम यदि नेशनल इन्टेग्रेशन चाहें, राष्ट्रीय एकीकरण चाहें और हमारा संविधान चाहता है तो कम से कम हम उर्दू को त्रिभाषी फार्मूले के भीतर तो रखें। इन दोनो राज्यों में जहां उर्दू रखी भी गयी थी फिर निकाल दी गयी। क्यों निकाल दी गयी? कोई खुलासा नही है। हमारे बिहार में श्रीमन 6 ट्रेनिंग कालेज है और 90 ट्रेनिंग स्कूल्स है। 6 ट्रेनिंग कालेज शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए और 90 ट्रेनिंग स्कूल्स। लेकिन उनमें कितने उर्दू शिक्षकों को ट्रेंड करने की गुंजाइश है? सुनकर हमको शर्म आती है क्योंकि हम भी बिहार प्रदेश से आते हैं, सिर्फ एक। और जब यह सवाल उठाया जाता है कि क्यों नही उर्दू शिक्षक रखे जाते हैं तो कहा जाता है कि उर्दू शिक्षक नहीं मिलते है। 90 ट्रेनिंग स्कूल्स और 6 ट्रेनिंग कालेज है और उर्दू भाषी केवल एक तो कहा से आपको ट्रेन्ड शिक्षक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश को ले लें। उत्तर प्रदेश में जब बहुगुणा मंत्रिमंडल था, बहुगुणा जी आपकी सरकार के भी मंत्री है, उन्होंने 4 हजार शिक्षकों को बहाल किया था, नियुक्त किया था।

**श्री विश्वम्भर नाथ पांडे** (नाम-निर्देशित) : कमलापति जी ने मुकर्रर किया था और बहुगुणा जी ने काम आगे बढ़ाया था।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : कुछ भी कह लें। हमारी शिकायत यह है कि आज तक उनको परमानेंट नही किया गया और अब खतरा इस बात का आ गया है कि उनमें से एक हजार शिक्षक छांट दिये जायेंगे इस नाम पर कि

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है जबकि ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोशिश नहीं की गयी है। दिल्ली को ले लें। दिल्ली में उर्दू भाषी विद्यार्थी जो उर्दू के माध्यम से पढ़ते हैं उनको उर्दू में प्रश्नपत्र नहीं दिये गये बल्कि उनको हिन्दी में प्रश्नपत्र दिये गये। मैं हिन्दी भाषी हूं और हिन्दी भाषी होने का मुझे फख्र है गौरव है और मैं इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूं अपनी सीमा के भीतर कि वह दिन आये जब हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा हो राज भाषा हो। लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है यह तो हमारे संविधान की भारतीय जनतंत्र की पूरी स्प्रिट के खिलाफ है कि उर्दू भाषी विद्यार्थी उर्दू के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रश्नपत्र हम उन्हें दूसरी भाषा में दें। यह तो संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और उस संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है। श्रीमन् अभी-अभी दिल्ली प्रशासन ने करीब 400 हेडमास्टरों का तबादला किया है। तबादले होते हैं होने चाहिएं। लेकिन वह खास मक्सद से होते हैं। और यह तबादले इस तरह से किये गये कि 30 उर्दू स्कूल के जो उर्दू-भाषी हेडमास्टर थे उन्हीं बेचारों को मुक्ति मिल गई—उनको अलग कर दिया। यह हो रहा है और हम संरक्षण की बात करते हैं। इसी तरह से राजस्थान को लें। राजस्थान में पहले उर्दू अकाडमी के लिए 2 लाख रु० की ग्रांट थी उसको घटा कर 30,000 रु० कर दिया। हजारों उदाहरण है जो पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि भाषायी अल्पसंख्यकों के वे अधिकार जिनको हमने संविधान में सुरक्षित किया है उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। हम सिर्फ जनता पार्टी की सरकार पर दोष नहीं देना चाहते हम देश की एक मनोवृत्ति पर दोष देना चाहते हैं और वह मनोवृत्ति आज बहुत जोरों से उभर रही है और वह मनोवृत्ति कांग्रेसी शासन जब था—कांग्रेस के लोगों का जब शासन था—उस वक्त भी वह मनोवृत्ति थी। और वह मनोवृत्ति क्या है? हमारे पूर्ववक्ता ने ब्लिट्ज में गृह मंत्री की मुलाकात का एक हवाला दिया। 12 नवम्बर का ब्लिट्ज है उसमें गृह मंत्री के साथ ब्लिट्ज के संपादक करांजिया की भेंट के दौरान सवाल और जवाब की रिपोर्ट छपी है। इसमें किसी बात का खंडन नहीं किया गया है, कांट्रेडिक्शन नहीं किया गया है। और कहा क्या गया है—जब उनसे यह पूछा गया कि जनता पार्टी के घोषणापत्र में यह कहा गया है कि उर्दू को उचित स्थान दिया जाएगा, ड्यू प्लेस दिया जाएगा तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि साहब उर्दू जो है वह टुर्कियों की और मुग़लों की भाषा है—उर्दू वाज इंपोज्ड बाई द टर्क्स ऍड द मगोल्स हू केम फ्राम आउटसाइड। उर्दू जो पैदा हुई भारत की भूमि में, भारत की धरती में उस उर्दू को कहा जाता है कि वह तुर्कियों की भाषा थी, मुग़लों की भाषा थी। हम समझते हैं यह बात वही कह सकता है जिसने शायद अपनी सारी जिंदगी में कभी यह नहीं कहा होगा: इंकिलाब जिंदाबाद। यह इंकिलाब जिंदाबाद उर्दू ने हम को दिया है। ऐसी बात वही कह सकता है जिसने अपनी सारी जिंदगी में कभी यह नहीं कहा होगा, कभी यह नहीं गाया होगा—सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। और उस भाषा को आप तुर्कियों की भाषा और मुग़लों की भाषा कहते हो। तो यह जो मनोवृत्ति है यह मनोवृत्ति जब तक रहेगी तब तक इस देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस मनोवृत्ति के खिलाफ़ हम लड़ें। हमें खुशी होती है कि मंडल जी कहते हैं हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। गांधी जी का क्या विचार था? गांधी जी तो हिन्दी और उर्दू दोनों को मिला कर एक हिन्दुस्तानी भाषा बनाना चाहते थे इस बात की जिंदगी भर कोशिश करते रहे। क्या उन्होंने कहा था कि उर्दू

तुर्कियों की मुगलों की भाषा है ? आज आप गांधी जी की शपथ लेने वाले लोग कहते है कि उर्दू तुर्कियों और मुगलों की भाषा है।

इतना ही नहीं है श्रीमन् उसी बयान में कहा गया--उर्दू कैन्नोट बी इम्पोज्ड आन द हिन्दूज। सवाल कहां उठता है? कौन कहता है कि उर्दू को हिन्दुओं पर इम्पोज करो? उर्दू के इम्पोजिशन का सवाल कहां उठता है? सवाल तो यह है कि जो उर्दू भाषाभाषी हैं, अर्थात् जिनकी मातृभाषा उर्दू है, उनको जो अधिकार सविधान में हैं और हमारे विचार से वे अधिकार काफी नहीं हैं; और भी अधिकार मिलने चाहिएं। उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और जब समस्या यह है तो कहा जाता है कि इम्पोज़ नहीं किया जा सकता है। लादा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुमत इसके खिलाफ है। तो क्या बहुमत के आधार पर हम यह तय करेंगे? संविधान की धारा 29 में यह कहा गया है कि इस देश के लोगों की, हर समुदाय की भाषा और संस्कृति की रक्षा होगी। यह हमारा संविधान है। इसकी क्या हम बहुमत और अल्पमत की ताकत के आधार पर तय करेंगे और यदि हम ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है कि तमाम भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जायेंगे और यदि ऐसा हुआ तो फिर हम को वही जाना पड़ेगा जहां कि पाकिस्तान पहुंच गया है--एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो हम समझते हैं कि यह जो मनोवृत्ति है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है उसके खिलाफ लड़ना होगा। उसको खत्म करना होगा और जब तक यह नहीं होगा तब तक अल्पसंख्यको के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी।

इस सिलसिले में यह सवाल उठता है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की या दूसरे प्रदेशों की सेकिंड लैंग्वेज बनाया जाय। अब सेकिंड लैंग्वेज का सवाल बहुत टेढ़ा है और इसमें हम पड़ना नहीं चाहते कि वह सेकिंड लैंग्वेज हो या थर्ड हो या फोर्थ हो। सवाल है उनके अधिकारों का। उनको अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। अपनी भाषा में उनको सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में और कोर्ट्स में दरख्वास्त देने का अधिकार होना चाहिए और उनको अपनी ही भाषा में उसका जवाब पाने का अधिकार होना चाहिए और इस तरह के जो उनके अधिकार हैं हम समझते हैं कि कमोबेश उन पर अमल होना ही चाहिए। बिहार से कभी दस लाख दस्तखत ले कर, कभी उत्तर प्रदेश से 20 लाख दस्तखत ले कर लोग राष्ट्रपति जी के पास आये थे। उनकी जो मांगें थीं उनकी गारंटी होनी चाहिए और इस झगड़े में हम को नहीं पड़ना चाहिए कि वह प्रदेश की सेकिंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो या फोर्थ लैंग्वेंज हो। तो उनके अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए यह मुख्य प्रश्न है और हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है और धारा 347 में इसी लिये कहा गया है कि यदि देश के किसी भाग का एक समुदाय अपनी भाषा के संबंध में सरकारी काम काज के सिलसिले में कोई मांग करे तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसके लिये उचित आदेश दें। हम मांग करते हैं कि यह सरकार राष्ट्रपति जी के पास ऐसी अनुशंसा भेजे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और वे प्रदेश जहां कि उर्दू भाषा-भाषी लोग हैं, कम से कम दस फीसदी जहां भी हैं, वहां पर उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि वह दूसरी भाषा हो या तीसरी भाषा हो और राष्ट्रपति जी को इसके लिये उचित आदेश देने चाहिए।

अंत में, श्रीमन्, मैं बिहार से आता हूं। हम समझते हैं कि उर्दू भाषा बोलने वालों के बाद हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है और बिहार में तो है ही और इसको ले कर वहां एक अलग प्रान्त बनाने का आंदोलन उठा

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

हुआ है । फिर हम कांग्रेस और जनता पार्टी का सवाल इस में नहीं उठाना चाहते क्योंकि उस आंदोलन में जनता पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, यहा तक कि जनता सरकार के एक मंत्री भी हैं जो आंदोलन को चला रहे हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक अलग प्रान्त बनाया जाय। यदि वहां आदिवासियों की बहुलता होती, यदि वह 51 या 50.5 प्रतिशत भी होते तो हम इसका समर्थन करते कि वहां एक आदिवासी राज्य बनना चाहिए। लेकिन छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों को मिला कर हम देखते हैं कि आदिवासियों की संख्या वहां कुल 30 फीसदी है। तो कैसे वह अलग प्रान्त बन सकता है और अलग प्रान्त बनेगा तो उसकी भाषा क्या होगी ? उस प्रान्त की आफिशियल लैंग्वेंज क्या होगी ? तो पूरे बिहार को इस भाषा के दलबदल में खत्म करने की एक योजना है। इस मायने में हम प्रधान मंत्री श्री मोरारजी को बधाई देना चाहते हैं कि वह रांची गये थे वहां उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे बंटवारा नहीं चाहते । लेकिन साथ ही साथ श्रीमन् वहां हमारे आदिवासी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा शोषित हैं, पीड़ित है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हम चाहते है कि पूरे क्षेत्र में कम से कम दो ऐसे इलाके हैं जहां पर कि आदिवासियों की संख्या 50 फीसदी से अधिक है, 60 फीसदी करीब है। तो इन दो क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासी प्रशासन की स्थापना हो । उनके क्या क्या अधिकार हों, इसके लिए हमें प्रतिनिधि सभा बुलाकर, सम्मेलन बुला करके विचार करना चाहिए। लेकिन उनको यह स्वशासी अधिकार बिहार के अन्दर इन दो क्षेत्रों में मिल सकते है। ( *Time Bell Rings* )

श्रीमन्, आपने घंटी बजाई है, इसलिए उनका नाम नहीं लेता। आखीर में मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और वह यह कि भाषायी अल्प-संख्यक कमिश्नर जो बेंचारा है उसकी कोई सुनता ही नहीं। अभी अभी मंडल जी ने कहा कि जो नया कमिश्नर गया वह पूरा पद या समय का नहीं है, वह कुछ और भी काम करता है। इसका मतलब है कि और भी कुछ वह कर सकता है। इसलिए मेरी मांग यह है कि यदि आप भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैज्ञानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस कमिश्नर की शक्ति को बढ़ाइए, उसका ज्यादा सक्षम कीजिए, उसको ज्यादा सशक्त कीजिए। हम चाहेंगे कि हर एक राज्य में इस तरह की चीज होनी चाहिए। हर जिले में भाषायी अल्पसंख्यक अधिकार खास तौर पर उनको दिये जायें। हमारी अपील है कि हमारे इन सुझावों के अनुसार आप अमल करें। हम आशा करते हैं कि मंडल जी उस गलत मनोवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करेंगे जिसके कारण भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY (Assam): Sir, Prof. Ramlal Parikh, while making his observations, suggested that the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities should be placed in time and discussed in the House immediately after it is submitted to the Government. But better late than never. Even then, when we are discussing the Reports after three or four years, the situation has not changed. The recommendations which were made in these Reports still remain unimplemented. In view of this, I think it would be good to discuss these Reports in the House even now. Moreover, with this new Government coming here at the Centre, a new situation has been created in the country so far as the linguistic and religious questions are concerned. This new situation has developed because of the views expressed in the statements of the members of the present Government regarding language. We are concerned with the linguistic minorities only. The over-enthusiasm being

shown by responsible members of the Union Government regarding the use of Hindi in all official matters has created tension in the non-Hindi speaking areas of the country, particularly in the South, and every day articles and letters and appearing in the Press in which a popular agitation is being carried on against imposition of Hindi. Secondly, Sir, the Education Minister, Dr. Chunder, announced on the floor of the House that he is not going to accept education as a Concurrent subject in view of his non-acceptance of the 42nd Amendment to the Constitution. Sir, this inclusion of education in the Concurrent List has always been very much welcomed by the linguistic minorities all over the country. But the Minister, only the other day in this House, said that he was not going to accept this position. This has created an apprehension in the minds of the linguistic minorities all over the country that this Government may not deliver the goods so far as the implementation of the report of the Linguistic Minorities Commission is concerned.

Again, we have seen the Press report about Shri Jayaprakash Narayan's prescription of smaller States and also the reported proposal of the Home Ministry for the reorganisation of States. Sir, this sort of reports and statements by responsible persons in the Government and also the conscience-keeper of the Janata Party Government have only encouraged forces of disintegration in this country. Sir, these three points which I mentioned have created a new situation. Therefore, when we are discussing the Fifteenth and the Sixteenth Reports of the Commissioner of Linguistic Minorities, naturally, we have to be cautious while making our observation.

[THE VICE-CHAIMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA) in the Chair]

Also this discussion will give the Government an opportunity to clarify their position on these issues.

Sir, the safeguards of linguistic minorities are mainly derived from the Provincial Education Ministers' Conference of 1949, the Government of India Memorandum 1956, the Ministry of Home Affairs Press note dated July 14, 1958, Discussions of the Southern Zonal Council in 1960 and the statement issued by the meeting of the Chief Ministers and the Central Ministers in August, 1961. Sir, in this process of formulating a national policy regarding these safeguards to the linguistic minorities nowhere the representatives of the linguistic minorities have been taken into confidence. These issues were discussed only at the official level with the Central Ministers, the Chief Ministers, the officials and the linguistic minorities spread all over the country.

Again, the hon'ble Minister has agreed that this is a land of minorities. We are all minorities. Some who are in a majority in Bihar are in a minority in Orissa. Somebody who is in a majority in West Bengal is in a minority in Assam. So we all are minorities somewhere. The same community which is in a majority in one place is in a minority in the other parts of the country. In that sense all the linguistic groups are minorities in the some areas or in the pockets. Everybody is a minority. So, this is a land of minorities. For instance, Mr. Rajnarain who is very much a vocal person an over-enthusiastic Hindi propagator—self-styled, of course; he is not employed for that purpose—thinks that because he is from U.P. and U.P. is a predominantly Hindi-speaking State, whatever he says about Hindi should hold good everywhere. But in West Bengal the Hindi-speaking people are in minority and his own linguistic group have trouble in other States—in West Bengal, Assam and Orissa. If one is so much chauvinist, his own people will be in trouble in other places. So, Sir, my contention is that those who sit at the table for formulating the policy for linguistic minorities will not be able to solve the problem because those who sit at the table are people who are in power. Linguistic minori-

[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

ties who live in pockets have their own special problems and these problems do not reach this table where these decisions are taken. As a result, in spite of all our good efforts and the safeguards we have formulated, so far we have not been able to give even proper guidelines for the implementation of the safeguards for the linguistic minorities.

Sir, take the case of the Three-language Formula for instance. In 1961, in the Chief Ministers' Conference they thought this would solve the problem but it has created problems for all the States. Shri Yogendra Sharma has mentioned about Urdu's position in Bihar and Uttar Pradesh. I will give you two other instances. One is in Delhi itself and that is about Punjabi. There is a reference to it on page 60 of the Sixteenth Report.

> "Representatives of Punjabi-speakers complained that the Three-language Formula had been revised to the disadvantage of linguistic minorities who had been debarred from studying all the three languages upto class XI."

Then there is the other case which I will place before you because it has created different problems in different States. Now, in Assam, Bengali-speakers of Cachar district complained that the Government of Assam, as a matter of policy, decided to introduce Assamese as a compulsory subject in all the secondary schools in the State. Accordingly, the Board of Secondary Education, Assam, issued a circular embodying Assamese as a compulsory core subject with effect from 1973-74 academic session. The matter was taken up with the Assam Government. Then the Assam Government had, however, sought further clarification from the Ministry of Home Affairs whether the decision taken by the State Government of Assam to make Assamese a compupsory subject was within the framework of the Government of India policy on the safeguards for linguistic minorities. Now, what is the problem? For the linguistic minorities in Assam, whose mother tongue is not Hindi, youd Three-language formula virtually becomes a four language formula. Yours is a Three language Formula. There is no provision for the study of mother tongue as a subject. So a problem is created there to choose between their mother tongue and Hindi or the regional language. So it is a now situation that has to be sorted out. And what does the Commissioner say? In the 1973-74 Report, the Commissioner accepts this position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to finish now.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, I have spoken for only. five minutes. My time is fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It has been written here that you started at 3.23 P.M.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It is not correct, Sir. I am looking at the clock. I started after 3.30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri U. K. LAKSHMANA GOWDA) It is written here.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It is not correct:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You take two minutes more and finish.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It won't do, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): All right, another three minutes.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: No, Sir. Five to seven minutes you have to give me.

The Commissioner says: There is no denying the fact that barring the six States where the regional language is Hindi, the three-language formula

adopted by the Chief Ministers' Conference of 1961 automatically becomes a four-language formula for any of the linguistic minorities whose mother tongue is not Hindi. This aspect of the problem deserves re-examination at the Central level. Therefore, Sir, I request the Minister to kindly re-examine this three-language formula and see what can be done in this respect to sort out different problems being faced by linguistic minorities in different ways in different States.

Then, Sir, the function of the Commissioner has already been stated by the Minister. So, I am not elaborating these things. He has already made those points. The Commissioner's function is only to enquire, investigate, report and recommend. Mind it, he has no mandatory power and his recommendation goes unheeded to by State Governments. You will be surprised to know that the State Governments do not even co-operate in supplying the data or information required by the Commissioner. So, Sir, about these safeguards—when you don't give time, I am just concluding, I am not taking more time—very few of the safeguards mentioned in the National policy have been sincerely pursued by State Governments. In this regard, generally the linguistic minorities all over the country feel that their interest will not be properly looked after if the administration of the safeguards in respect of linguistic minorities is kept as a State subject. So, I will request the Minister to consider the point whether they can take over the administration of safeguards of the linguistic minorities and make it a Concurrent subject. After passing of the 42nd Constitution Amendment 'Education' automatically comes under the Concurrent List. If they are contemplating to amend this, it is a different thing, but I would request that they should allow 'Education' to remain in the Concurrent List. They should also bring the administration of the safeguards in respect of the linguistic minorities under the Concurrent List.

Lastly, I want to mention two more points. In order to create a congenial atmosphere for national integration it is time for the members of the Union Government not to give stress to talk on any sensitive issues like language or religion. This remark made by Choudhury Charan Singh, which has appeared in the Blitz, is really unfortunate. The way some of the members of the Union Government behave as protagonists of Hindi, has also agitated the minds of many of the non-Hindi speaking people, particularly South Indians. It is good if we create a climate of an understanding and for that the members of the Union Government should also maintain some restraint. Last of all, I would like to make one point and that is regarding the States Reorganisation Commission that has appeared in the press nowa-days. The States Reorganisation Commission, in its report, had not done proper justice to the linguistic minorities in the country. In that report, it gave more weightage to the political and the economic considerations, and to the linguistic consideration was not very much there and the demands of the linguistic minorities in different States received less attention from the States Reorganisation Commission. And, now, as a result, Sir, this problem is everywhere in this country; and there is a cessassinist tendency in many parts. The statements made by Shri Jayprakash Narayan and also the press reports about the thinking of the Home Ministry has created a lot of confusion in the country. Of course, the Prime Minister, I think in Lucknow, yesterday, told the press to go somewhat slow in this matter. You know, Sir, what happened when the States were reorganised. Why should the question be reopened now? It seems he is not in favour of reopening the question now. Any way, he said that the reorganisation of the States can be considered later in a peaceful atmosphere. The Prime Minister in the statement expressed a lot of restraint. I believe

[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

the other Members of the Union Cabinet will also maintain that much restraint while they show their enthusiasm for Hindi.

Sir, with these words, I again request the Minister to take the responsibility for the safeguard of linguistic minorities in the hands of the Central Government. I also pray, Sir, that education should remain in the Concurrent List, and, if they have any contemplation of taking it out of the concurrent list, I would request them not to do so.

With these words, I resume my seat. Thank you, Sir,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri Ananda Pathak. There are a large number of speakers. We will have to limit the time.

**श्री आनन्द पाठक** (पश्चिमी बंगाल) : मान्यवर, यह जो रिपोर्ट है, इसमे पता चलता है कि संविधान में जो सुविधाएं लिंगविस्टिक माइनर्टीज़ के लोगों को दी गई हैं वे व्यावहारिक क्षेत्र में देखा जाए तो नहीं मिल रही है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं है कि भविष्य में क्या किया जाएगा। यह रिपोर्ट 1974 साल के अंत तक के जून महीने की रिपोर्ट है अब तक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसा भी मालूम नही पड़ता। क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट बार बार आती है तो भी देखा जाता है कि माइनर्टीज़ के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में, सैकंडरी शिक्षा के बारे में देखे जाते है कि सरकार इन लोगों को अधिक सुविधाएं अभी तक नही दे पा रही है। मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान में बोला गया है कि जो लिंग्वस्टिक माइनर्टी के लोग हैं उनको कानून की दृष्टि से समान रूप से देखा जाएगा लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में नही होता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते है कि हरिजनों पर, आदिवासियों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं और नाना प्रकार की असुविधाएं उन्हें हो रही हैं। इसलिए यह सब हटाने के लिए जब तक कोई ठोस प्रबन्ध नहीं होगा तब तक कितनी भी रिपोर्ट निकालें, ज.ए, कोई सुधार होने वाला नही है। हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर दंगे होते है। जब भी दंगे होते हैं उनको सेफगार्ड नहीं मिलता है। उन लोगों में असन्तोष फैल जाता है दंगे होते हैं। उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती है और हमें नही हो रही हैं जब तक यह फीलिंग रहेंगी तब तक यह दंगे होते रहेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि उनको जो विशेष सुविधाए देने की बात कही गयी है उनको अच्छी तरह से लागू करने की दिशा में कुछ करना चाहिए। परन्तु हम देखते है कि हमारी जो मातृभाषा नेपाली है जिसकी मान्यता के लिए इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है उसके लिए बार बार बोला जाता है कि मान्यता नही दी जायगी। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न जगहो पर एक असहाय अवस्था है। 'हम लोगों को कुछ भी सुविधायें नहीं मिल रही है' ऐसी भावना बढ़ रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जनता पार्टी की सरकार कुछ नये दृष्टिकोण अपनाये तब जाकर आप यह आन्दोलन का कारण दूर कर सकेंगे नहीं तो जो धारा चल रही है उसी रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो जो यह फीलिंग्स है वह कभी भी दूर नही होंगी। भाषा की वजह से हमारी बहुत सी समस्यायें हैं। नेपालियों की संख्या भारतवर्ष में प्राय: 50 लाख है। काफी दिनों से वे अपनी भाषा के बारे में मांग कर रहे हैं। अभी अभी हमारे मंत्री महोदय बोल रहे थे कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में अन्तरमुक्त करने से ही सब कुछ समस्या हल नहीं हो जायगी। परन्तु अन्तरमुक्त न होने पर भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती है। मान्यवर, विभिन्न सर्विसेज में एप्लाई करने के लिए आठवीं अनुसूची में वह भाषा होनी चाहिए

अभी कुछ दिन पहले इन्कम टैक्स इंस्पैक्टर के पदों के लिए एप्लाई करने के लिए यह लिखा गया था कि अष्टम अनुसूची मे शामिल की हुई किसी एक विशेष भाषा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई नेपाली भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानता है तो वह उस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा में 10वीं कक्षा तक उन लोगों को आठवें शिडयूल की कोई न कोई भाषा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है मान लीजिए कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है तब भी उसे बाध्य होकर वह भाषा पढ़नी पड़ती है। जैसे यू०पी०एस०सी० में जो इक्जामिनेशन होते है उसमें भी बोला जाता है कि आठवीं सूची में जो भाषायें है उन्ही में से एक लेकर आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इसी बात से देखा जाता है कि विभिन्न तरीकों से उन्हें वंचित किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, जिसके लिए कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, अब समय आ गया है और मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारी नेपाली भाषा के लिए एक शिष्ट मंडल आया था तब हमारे माननीय प्रधान मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई लेकिन बातचीत के बाद जो वक्तव्य निकला और उन्होंने जो पर्चा निकाला वह वर्बेटिम था, उसमें दिखायी देता है कि अभी भी वही अनुभव है जैसा पहले था। इसमें शंका प्रकट की गई कि क्या आपकी भाषा यहां की भाषा है, यह तो नेपाल की भाषा है। मान्यवर मै पूछना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की धारणा क्यों है कि यह तो नेपाल की भाषा है? यह तो भारत की सब से पुरानी भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, प्राकृत भाषा से आई है मूलभूत रूप से यह भारत से आई हैं क्षेत्रीय भाषा से जन्मी है। लेकिन यह सब होते हुए भी क्यों यह बोला जाता है कि यह नेपाल की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है। यह बहुत अन्याय की बात है। यह भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि यह केवल हमारे दार्जिलिंग में ही नहीं बोली जाती है बल्कि सिक्किम मे, आसाम में बोली जाती है और भारत के विभिन्न राज्यों और सब पहाड़ी जगहों में भी बोली जाती है। अभी अभी सिक्किम विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया गया है कि इस भाषा को अष्टम सूची में अन्तर्भूत किया जाए और इसके आगे ही पश्चिम बंगाल सरकार में वहां की विधान सभा मे एक-मत होकर प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया गया है कि इस भाषा को संविधान की अष्टम सूची मे अंतर्भूत किया जाए। इसलिए महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नेपाल भाषा-भाषी लोग, जो 50 लाख से ज्यादा यहां है, बहुत असन्तुष्ट हैं। जैसा कि मैं कह चुका हू यह भाषा इतनी समृद्ध है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है, नेपाल है, भूटान है, दूसरी जगहें है जहा नेपाली भाषा का प्रचलन है। इस रिपोर्ट मे जब मैंने पढ़ कर देखा तो रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न जगहो मे सरकारी रूप से यह माना गया है कि आसाम मे इसका अस्तित्व है, मेघालय में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश मे है। तो यह सब होते हुए भी, इसके समृद्ध होते हुए भी इसको अष्टम सूची मे अतर्भूत करने के बारे मे अस्वीकार किया जाता है।

आखरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमारे सविधान की 351 धारा है उसमे कहा जाता है कि हिन्दी को समृद्ध करने के लिए यह अनुसूची रखी गई है। हमारी जो नेपाली भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, हमारी लिपि के साथ उसका बहुत मेल खाता है। यदि यह स्थिति है तो हिन्दी को समृद्ध

[श्री आनन्द पाठक]

करने के लिए नेपाली जितनी सहायक हो सकती है हमारे संविधान के अंतर्गत दूसरी भाषा नहीं हो सकती है । हम समझते है हिन्दी को ही एक लिंक के रूप में नहीं बनना है क्योंकि यह तो कोई राजतांत्रिक पद्धति नहीं होगी । आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे देशवासी एक भाषा को वाल्यंटरली, स्वेच्छा-पूर्वक स्वीकार कर लेंगे तब यह हो सकता है । लेकिन मैं चाहता हूं कि देश की सब भाषाओं को मान्यता देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए । अभी यही बात बोल रहे है हमारे मंत्री महोदय भी बोल रहे है और हमारे दूसरे माननीय सदस्य भी बोल रहे है । जब हमारा यह मकसद होगा कि सभी भाषाओं को बढ़ावा देंगे, चाहे कितनी छोटी भाषा हो हम उसको समृद्ध करेंगे तो हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को जोरदार बल मिलेगा । अगर हम इस भाषा को मानेंगे उस भाषा को नही मानेंगे तो यह मेरे विचार में अन्याय होगा । ऐसा करने से हमारे देशवासियों को विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी । अगर किसी को सरकारी सर्विसेज की परीक्षाएं देनी है तो अगर जिस भाषा में परीक्षा देनी है उसका ज्ञान नहीं है तो उसको कठिनाई होगी । इसलिए मेरा विचार है कि अष्टम सूची को और विस्तार किया जाए और सभी प्रचलित भाषाओं को स्वीकार किया जाए जिससे किसी को रुकावट नही होगी । लेकिन जब तक यह नहीं होगा तब तक दूसरी भाषा जो समर्थ होगी, जिसमें सब गुण होंगे उसको इसमें अंतर्भुक्त करना ही होगा ...

*Time bell rings.*

अंत में मैं एक दो बात और कहूंगा । अभी हमको भाषायी अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना हैं लेकिन उसके साथ ही हम को उन्हें देश की मेन-स्ट्रीम में शामिल भी करना है । वह भी हमारे इस देश के नागरिक है, वह भी देशभक्त है यह भावना जगाने के लिये विभिन्न जगहों में, विशेष करके पश्चिमी बंगाल में, दार्जीलिंग के पहाड़ी इलाकों में जहां बहुसंख्यक नेपाली भाषा के लोग हैं उनको स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करना चाहिए और उनके सामाजिक विकास के लिए उनकी यह स्वायत्त शासन की मांग को हमको मान लेना चाहिए । ऐसा होने से उनका संकोच दूर हो सकेगा और उन के मन में यह भावना आयेगी कि वह भी राष्ट्र के साथ और राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार है । इसलिये पश्चिमी बंगाल में नेपाली भाषा-भाषी इलाकों में उनकी स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया जाये ताकि वे भी देश की मेन-स्ट्रीम के साथ आगे आकर, आगे बढ़ सकें और अपना विकास कर सकें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Most of the speakers are from the Congress Party. I think the time has to be restricted to 5 minutes. Otherwise, there is no time and the Minister has to reply.

**श्री कल्पनाथ राय** (उत्तर प्रदेश) : इतने महत्व का सवाल है और इस पर आप केवल पांच मिनट बोलने को कह रहे हैं ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM (Andhra Pradesh): Sir, can you imagine that anybody could express himself in five minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down.

**श्री कल्पनाथ राय** : अधिष्ठाता महोदय, यह भाषा का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down, Mr. Kalp Nath. Why do you stand when I am standing? I am just saying that there is a long list. Because there is a long list—list after list is coming—it becomes necessary to reduce the time. But, if the House wishes to continue the debate on Wednesday also, I have nothing to say.

Therefore, please sit down... (*Interruptions*). Why do you get excited? I am just putting the whole thing before the House. There is a long list of Members. I can speak to your Whip also to see whether we could organise it that way. If it cannot be done, then I cannot do anything. Anyway, we have to adjourn at 5 o'clock. If you can kindly co-operate with me, it can be done. Now, I will call Mr. Wajd.

**श्री कल्पनाथ राय** : इस पर पांच मिनट में अपनी बात नहीं कही जा सकती ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, I was submitting... (*Interruptions*). If you are adjourning

(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It is not a question of my adjourning the House at my will. The House will be adjourned at 5 o'clock. If the discussion is to continue, I have nothing to say about it. But you should not say that I have adjourned the House. It is not so. Because of the long list, I am just putting it before the House and it is for the honourable Members to decide. The Whip is here on this side and the Whip is there on that side also and, so, let them decide.

**श्री कल्पनाथ राय** : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप देखें कृपा करके यह बड़ा सवाल है और यह सवाल ऐसा नहीं है कि दो, तीन या पांच मिनट में इस पर बात कह दी जाय । इस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए । इस लिये कृपा कर आप बोलने का हम लोगों को अवसर दें, वरना अभी बहस खत्म कर दें और हम लोग घर जायें ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, it is such an important thing... (*Interruptions*). It is a subject of vital importance. You know that this is a subject on which many persons from this side and also from that side want to express their views. Sir, suppose you were on your legs. Would you have been satisfied if you were allotted only five minutes? This is such an important subject . . .

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is why I say that the whole thing is before the House.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: What I am submitting is that if the debate cannot be completed today, you have it tomorrow, because this is a very important subject. It is not that you can ask one person to express himself in such a short time...

(*Interruptions*)

**श्री कल्पनाथ राय** : सदन के नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये । इतनी मोटी रिपोर्ट पर कैसे बहस होगी । मैं इसलिए नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, these two Reports are bulky Reports. What for have they been circulated? What is the object of circulating them?

SHRI KALP NATH RAI: What is the object?

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): One at a time, please. The Minister of State for Parliamentary Affairs is sitting now here and if you want, he can say something on this.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, what I am submitting is this... (*Interruptions*) ...I would like to submit respectfully, Sir...

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. Is it your view that time should be extended till Wednesday?

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee considered the matter and the leaders on the other side were also present. They agreed and decided that time allotted should be one day. So one day was allotted. On Wednesday we have another important subject, that is, Samachar, that is going to be discussed. Now it is open to the Members. If they want to continue...

AN HON. MEMBER: You can extend it for one hour at least.

**श्री कल्पनाथ राय** : कृपया इसको बढ़ा दीजिए, बहुत महत्व का सवाल है। श्रीमन, एक दिन के लिए हाउस अलाट हुआ और आज दो बजे यह शुरू हुई डिबेट, इस बीच में आन्ध्र का साइक्लोन आ गया, उस पर बहस होने लगी। यह राष्ट्रीय सवाल है।

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee has allotted time of one day.

SHRI SIKANDER ALI WAJD: How many hours?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day...

(*Interruptions*)

**श्री कल्पनाथ राय** : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा कि नहीं ?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day means up to 5 p.m. But if the House so desires, I have no objection in continuing for one hour more, up to 6 p.m. इतने दिनों तक आप बहस में भी नहीं लाये, हमारी गवर्नमेंट ने तो इसको बहस में ला दिया।

(*Interruptions*)

**डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी** : श्रीमन, हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों की जिन्दगी का सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We have already lost 5 minutes. I am requesting Dr. Ram Kripal Sinha and Mr. Bipinpal Das to discuss the matter. By that time, let him speak. Yes, Mr. Sikander Ali Wajd.

**شری سکندر علی وجد** : عالی جناب ڈپٹی چیرمین صاحب - یہ رپورٹیں کانگریس کے زمانہ کی ہیں - جن پر یہاں بحث ہو رہی ہے - ایک اور رپورٹ اردو کے سلسلہ میں رکھی ہوئی ہے - گجرال کمیٹی کی رپورٹ اس کو شائع نہیں کر رہے ہیں - آپ اس کو شائع کر دیں - دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اردو کے سلسلہ میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں- جنتا کی بات نہیں کر رہا ہوں کانگریس کی بات نہیں کر رہا ہوں - اس حمام میں سب ننگے ہیں - تیس برس سے اردو کا مسئلہ ایسے ہی پیش ہو رہا ہے - کانگریس اردو والوں سے کہہ رہی تھی کہ اب تصفیہ ہو جائیگا یہ ہو جائیگا وہ ہو جائیگا - آپ کو کنسٹی ٹیوشن کی دفعات ۲۹، ۳۴۵، ۳۴۷، ۳۵۰ دیکھنی چاہئیے - ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب انٹرویو دیا ہے - وہی ہوم منسٹر صاحب تو ہمارے بھی ہیں - باہر کوئی نہیں پوچھے گا کہ جنتا کے ہیں کہ کانگریس کے - ایسی بات انہوں نے کی اردو کے بارے میں کہ لوگ ہنسینگے - تمہارے چودھری صاحب نے یہ کہاں پڑھا ہے کہ اردو ترکوں اور مغلوں کی زبان ہے -

میں ہندوستان کے بہت بڑے ہسٹورین ڈاکٹر تاراچند کی بات کہتا ہوں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ چار جلدوں میں لکھی ہے۔ انہوں نے ۱۵ فروری ۱۹۵۸ کو فرمایا تھا جو ہندی رائج کی جا رہی ہے وہ بدیشی انگریزی سے زیادہ مشکل ہے - ہندوستان کے ایک تہائی کے قریب آبادی اس تہذیب کی پیرو نہیں ہے جس کے ماخذ سنسکرت زبان میں ہیں - ۱۸۵۷ کے بعد انگریزوں نے اردو کو مسلمانی زبان بنا دیا - بہار کے گورنر نے شہروں کا دورہ کیا اور اردو کے خلاف دھواں دھار لیکچرس دیئے اور انگریزی کے عالموں نے ہندوستان کی زبان میں گرامر لکھی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کسی علاقہ کی زبان نہیں ہے - ہماری ڈکشنری میں ہے کہ ۷۵ فی صدی لفظ ہندی کے ہیں - گریئرسن اور چٹرجی یہ فیلالوجسٹ ہیں - دونوں مانتے ہیں کہ کھڑی بولی سے پہلے اردو کی ادبی زبان نکلی- اس کے کئی سو سال بعد انیسویں صدی میں اسی بولی سے ادبی ہندی نے جنم لیا - ہندوستان کی چودہ زبانوں میں اردو اکیلی ایسی زبان ہے جو ہندوستان کی روایتوں کی ترجمانی کرتی ہے - آئین کی دفعہ ۳۴۷ کے تحت ہر ریاست میں اسکو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہئیے- اس لئے کہ دنیا میں زیادہتر ملک ایسے ہیں جہاں دو یا تین زبانوں کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا ہے - مجھے آپ کا بیان سن کر ایک انگریزی جملہ یاد آتا ہے -

Audicity of the ignorant.

جاہل کی جسارت—انہوں نے اس جسارت کا ثبوت دیا جس سے سب تنگ ہیں- ایک بات میں کہہ دوں کہ جنتا کے لیڈروں کے بارے میں وہ صاف بات کہتے ہیں چاہے کیسی بھی ہو - نتیجہ یہ ہوا کہ اردو والے جو خوش فہمی میں تھے وہ دور ہو گئی - کانگریس نے اس کے لئے کچھ زیادہ نہیں کیا - مگر آپ تو کہتے ہیں کہ کرینگے بھی نہیں - آپ نے صاف کر دیا اس مسئلے کو - مجھے خوشی ہے ہم کو کچھ امید تھی کانگریس والوں سے لیکن اب وہ امید بھی مٹ گئی- آپ نے صاف کر دیا کہ چار چھ مہینے ہی میں کہ اردو کا کوئی مقام نہیں ہے - یہ بے کار ہے دستور یا آئین جو بنایا ہے - مرار جی بھی یہی کہتے ہیں اور چودھری چرن سنگھ بھی یہی کہتے ہیں - ہمارے آئین میں اُردو کو جو حق دیا گیا ہے وہ نہیں ملتا ہے - تسلیم کا سوال بعد میں آتا ہے - ایک اور ہندو لیڈر تھے جو گاندھی جی کے بعد آئے اور ہمارے دل میں بہت ان کی عزت ہے - وہ صاف بات کرتے

[شری سکندر علی وجد]

تھے کبھی بات کرتے تھے وہ راجہ جی ہیں - راجہ جی نے ۲ جنوری ۱۹۷۱ کو کہا تھا وہ اردو کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے اور یہ بےانصافی ہمارے دامن پر بڑا دھبہ ہے داغ ہے یہ اسمبلی کا فیصلہ گاندھی جی کی منشا کے خلاف ہے - کانگریس کی تجاویز کے خلاف ہے - اتنے بڑے ملک کے لئے جو روس کو چھوڑ کر پورے یورپ کے برابر ہے قطعی نامناسب ہے دنیا میں ۴۳ سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی دو یا تین سرکاری زبانیں ہیں - سوئزرلینڈ کتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس میں چار زبانیں ہیں - فرینچ - جرمن - اطالوی - رومانش یہ سرکاری زبانیں ہیں - اس میں رومان کے ۵۰ ہزار سے زیادہ بولنے والے نہیں ہیں - میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی چودہ زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہئے - گاندھی جی نے ہندوستانی کی تائید کی تھی - گاندھی جی کے مارے جانے سے زبان کا سوال نہیں مر گیا - یہ پھر ابھرے گا - اردو دیش کی چھٹی زبان ہے - چار کروڑ لوگ اس کے بولنے والے ہیں - میں ایک بات آپ سے کہوں گا - شاہ عالم بہادر شاہ کو جب غلام قادر روہیلے نے اندھا کر دیا تو مادھو جی سندھیا نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا - اس موقعہ پر مجھے شاہ عالم کا ایک شعر یاد آتا ہے - مادھو جی سندھیا فرزند جگر بند من ہست - یہ میری اولاد کے برابر ہے - میری حفاظت کر رہا ہے آج اردو کا یہی حال ہے اردو کو مرہٹے پال رہے ہیں - اردو کے لئے کوئی اور بولنے کے لئے تیار نہیں ہے - صرف مہا راشٹر میں اردو کے اتنے کالج اور اتنے ٹیچر ہیں جتنے سارے ہندوستان میں نہیں ہیں - اردو کے متعلق ان کا دماغ صاف ہے انہیں اپنی زبان پسند ہے لیکن وہ اردو کو بھی ہندوستان کی زبان مانتے ہیں اردو کا جنم یہیں ہوا ہے اور مراٹھی کا بھی جنم یہیں ہوا ہے - مہاراشٹر میں ہمیں کچھ اور شکایتیں ہیں لیکن زبان کے معاملہ میں مہاراشٹر کا رویہ صاف ہے - ہماری جو اردو اکاڈمی ہے اس کے صدر ہمارے چیف منسٹر بسنت دادا پاٹل ہیں لیکن آپ کی یو - پی - میں اردو اکاڈمی ٹوٹ گئی ہے وہاں کے لوگوں نے ریزائن کر دیا ہے اور اس میں اب ہندی والے بھرتی ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیگی - میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی چودہ زبانوں کی طرح اردو کو بھی حق دیا جائے - مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب میں بڑے بڑے ذمہ دار منسٹروں کے بیانات اور تقریریں اردو کے مسئلہ پر پڑھتا ہوں - جو سب لوگ یہاں

بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بیانات اور تقریریں نکلتی ہیں ان کو کسی نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا ہے - یہ چودھری چرن سنگھ کا انٹرویو ہے اور انہوں نے اپنے علم کا اس میں اظہار کیا ہے - میں کہتا ہوں کہ کم سے کم باہر کے ملکوں میں تو آپ اپنے کو بدنام نہ کیجئے ہندوستان کی تاریخ میں اردو کی کیا جگہ ہے اس بات سے ہندوستان کے لوگ اور انگلستان کے لوگ سبھی واقف ہیں مگر اب ایک بات صاف ہوگئی کہ آپ لوگوں نے زبان کا مسئلہ صاف کر دیا - اب اردو والوں کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہئے - میں اردو والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی گھیراو نہ کرو نہ کوئی ستیہ گرہ کرو اور نہ کوئی ایسا کام کرو جو قانون کے خلاف ہو لیکن ابھی الیکشن آ رہا ہے جن لوگوں نے کانگریس کو کرسی پر بٹھایا تھا انہیں لوگوں نے کانگریس کے خلاف اپنا ووٹ دیا کیوں کہ کانگریس نے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا - اب آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے اس طرح کے اعلان کئے ہیں اس لئے آپ لوگ بھی نہیں رہینگے - آپ کی پالیسی کیا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ انوس منسٹر نہیں ہیں انوس پرائم منسٹر ہیں - ہر آدمی کا اپنا دماغ ہے اور ہر آدمی پالیسی ڈکلیریشن دیتا رہتا ہے - کچھ

لوگ کہتے رہتے ہیں ارے بھئی یہ بات نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے بارے میں اگر پرائم منسٹر کی بات نہ مانیں تو پھر کس کی بات مانیں - چودھری چرن سنگھ جو ہوم منسٹر ہیں ان کی بات نہ مانیں تو کیا پھر آپ کی بات مانیں ؟ انہوں نے خود یہ باتیں کہی ہیں - زبان کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہیں ہے - اس میں ہندی والوں کی منظوری کا بھی سوال نہیں ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ۸۵ فی صدی ہندی والے ں اگر وہ اردو نہیں مانیں گے تو کس طرح اردو یو - پی کی سرکاری زبان بن سکتی ہے یہ ہندی والوں کا سوال نہیں ہے وہ تو قیامت تک بھی نہیں مانیں گے - ان کے سرپرست تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں - ل یہ ہے کہ آپ کنسٹی ٹیوشن کی ۳۴۷ ویں دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں - چودھری چرن سنگھ اگر اس کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے پاس تو بڑے بڑے لائق لوگ ہوں سیکریٹریز ہیں جو قانون کے ماہر ہیں ان سے اس دفعہ کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں - چودھری چرن سنگھ کو بھی اب اپنا حساب دینا پڑے گا - اب تک سب سے حساب لیا گیا ہے - زبان کے معاملے میں کانگریس سے بھی ہم نے حساب لیا ہے -

[شری سکندر علی وجد]

تین سب سے بڑے محکمے ہیں - ایک ہوم منسٹری - ایک انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری اور ایک ایجوکیشن منسٹری ہے - ان تینوں نے مل کر اردو کو برباد کیا ہے - مجھے یاد ہے کہ کنسلٹیٹو کمیٹی کی میٹنگ میں جس میں گجرال صاحب اور دوسرے پریس کے لوگ بھی شامل تھے - اندراجی سے میری بات چیت ہوئی تھی میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے اردو کی تعریف سنتے سنتے تھک گئے اب اس کے لئے کچھ کیجئے گجرال صاحب نے کہا کہ اردو ایک بڑی زبان ہے - ہماری حکومت اس کو آگے بڑھائیگی لیکن میں نے اندراجی سے کہا کہ آپ کا حکم ہر محکمے میں چلتا ہے صرف ریڈیو کے ڈپارٹمینٹ اور انفارمیشن اور براڈکاسٹنگ کے محکمہ میں نہیں چلتا - گجرال صاحب نے کہا کہ اردو کے ساتھ ایک تاریخی لیگیسی ہے وجد صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ صحیح ہے - بھائی ہم تو کسی کو نہیں بخش سکتے - کسی کو نہیں بخشینگے - اس لئے نہیں کہ اردو میری زبان ہے - میں اس کا شاعر ہوں - بلکہ اس لئے کہ یہ ہندوستانی زبان ہے -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajd, I think you have to stop now.

شری سکندر علی وجد : دو منٹ اور لوں گا - میں اردو کا آدمی ہوں - میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سوچ سمجھکر کہہ رہا ہوں - ہمارے پاس غالب اور اقبال بڑے شاعر ہیں - میں نے غالب کا دیوان دیوناگری میں لکھا ہے ایک ساوتھ انڈین سے پڑھوایا - میں ان سے ہندی پڑھتا تھا - انہوں نے یوں پڑھا -

کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے -
وہ فکر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی -
†[کسے کھبر کہ ہجاروں مکام رکھتا ہے
وہ پھکر جس میں ہے بےپردہ روح کرانی]

دوسرا شعر ہے -

میرے میخانے غزل میں تھی ذرا سی باقی
شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام اے ساقی
†[میری میخانے گجل میں تھی جراسی باکی
شیکھ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام اے ساقی]

ع کیا وہ نمرود کی خدائی تھی -
†[کیا وہ نمرود کی کھدائی تھی - ]

نہ تھا کچھ تو خدا تھا - کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
†[نہ تھا کچھ تو کھدا تھا - کچھ نہ ہوتا تو کھدا ہوتا -]

ایک شعر اقبال کا ہے - آپ اردو سمجھتے ہونگے - سبھی ہندی والے

---

[illegible]

اردو سمجھتے ہیں - جھوٹ بولتے
ہیں کہ نہیں سمجھتے -

اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم -
مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں -
اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم
مکامات آہ و پھگاں اور بھی ہیں -]

تو میں یہ کہتا ہوں کہ خط کے ساتھ زبان کا گہرا تعلق ہے اور جواہر لال نہرو نے اپنی آٹو گرافی میں لکھا ہے - ہر زبان کی ایک لپی یعنی ایک رسم الخط ہوتا ہے لپی کے ساتھ زبان کا جسم و جاں کا تعلق ہوتا ہے - جب لپی بدل جاتی ہے تو لفظ بھی بدل جاتے ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں آج پنڈت جواہر لال نہرو تو آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے - اب حالات بدل گئے ہیں - پہلے جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ آج منسٹر ہو گئے - اردو کا ایک شعر ہے -

ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے -
کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے -

اردو بڑی مشکل زبان ہے جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے - عمر یونہی تمام ہوتی ہے -

میں نے ۲۰ سال میں اجنتا پر نظم لکھی اور ۱۰ برس میں ایلورا پر نظم لکھی کیا اجنتا اور ایلورا ہندی والوں نے نہیں دیکھے تھے

†[ ] Hindi pronunciation.

**श्री श्रीकान्त वर्मा** (मध्य प्रदेश) : मैं उर्दू के फेवर में बोलने वाला हूं। आप हिन्दी का मखौल उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं। उर्दू से हिन्दी का कोई झगड़ा नहीं है।

شری سکندر علی وجد : مخالفت کی بات نہیں ہے - جو دوسرے کی زبان کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی زبان کی بھی عزت نہیں کرتا - میں کسی زبان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں - آپ سے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اردو کا حق ہے جو اس کو قانون نے دیا ہے جو دستور نے دیا ہے وہ آپ اس کو دیجئے - اردو والے آپ کی سرپرستی آپ کی مہربانی نہیں چاہتے صرف انصاف چاہتے ہیں - مجھے امید ہے پ اپنے بزرگ مرارجی ڈیسائی اور عالم فاضل چرن سنگھ جی کو بھی یہ بات سمجھا دیں گے - یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے - میں کہوں گا کہ میری بات اگر انہیں ناپسند ہے تو غصہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہنسنے کا موقعہ نہیں ہے -

†[**श्री सिकन्दर अली वज्द** : आली जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, ये रिपोर्टें कांग्रेस के जमाने की हैं जिन पर यहां बहस हो रही है—एक और रिपोर्ट उर्दू के सिलसिले में रखी हुई है, गुजराल कमेटी की रिपोर्ट। उसको शाया नहीं कर रहे हैं। आप उसको शाया कर दें। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उर्दू के सिलसिले में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जनता

†[ ] Devanagari transliteration.

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। इस हमाम में सब नंगे हैं। 30 बरस से उर्दू का मसला एसे ही पेश हो रहा है। कांग्रेस उर्दू वालों से कह रही थी कि अब तस्फीया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा। आपको कांस्टीट्यूशन की दफात 29 या 345 347, 350 देखनी चाहिये। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक अजीबो-गरीब इंटरव्यू दिया है। वही होममिनिस्टर साहब तो हमारे भी हैं --बाहर कोई नहीं पूछेगा कि जनता के हैं या कांग्रेस के हैं। ऐसी बात उन्होंने उर्दू के बारे में की लोग हंसेंगे। तुम्हारे चौधरी साहब ने यह कहां पढ़ा है कि उर्दू तुर्कों और मुगलों की जबान है। मैं हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन डा० ताराचन्द की बात कहता हूं जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की तारीख चार जिल्दों में लिखी है --इन्होंने 15 फरवरी, 1958 को फर्माया था जो हिन्दी राईज की जा रही है वह विदेशी अंग्रजी से ज्यादा मुश्किल है। हिन्दुस्तान की एक तिहाई के करीब आबादी उस तहजीब की पैरो नहीं है जिसके माख़ज संस्कृत जबान में है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने उर्दू को मुस्लमानी जबान बना दिया। बिहार के गवर्नर ने शहरों का दौरा किया और उर्द के खिलाफ धुआंधार लेक्चर दिए और अंग्रेजी के आलिमों ने हिन्दुस्तान की जबान में ग्रामर लिखी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू किसी इलाके की जबान नहीं है। हमारी डिक्शनरी में 75 फीसदी लब्ज़ हिन्दी के हैं। ग्रसन और चटर्जी ये फिलालोजिस्ट हैं। दोनों मानते हैं कि खड़ी बोली से पहले उर्दू की अदबी जबान निकली। इसके कई सौ साल बाद उन्नीसवी सदी में इस बोली से अदबी हिन्दी ने जन्म लिया। हिन्दुस्तान की चौदह जबानों में उर्दू अकेली ऐसी जबान है जो हिन्दुस्तान की रियासतों की तर्जमानी करती है। आईन की दफे 347 के तहत हर रियासत में उसको सरकारी जबान का दर्जा मिलना चाहिये। इसलिए कि दुनियां में ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं जहां दो या तीन जबानों को सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया है। मुझे आपका बयान सुनकर अंग्रेजी जुमला याद आता है।

Audacity of the ignorant

जाहिल की जिसारत --उन्होने इस जिसारत का सबूत दिया जिससे सब तंग हैं। एक बात मैं कह दूं जनता के लीडरों के बारे में वो साफ बात कहते हैं चाहे कैसी भी हो। नतीजा यह हुआ कि उर्दू वाले जो खुशफहमी में थे वो दूर हो गई। कांग्रेस ने उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। मगर आप तो कहते हैं कि करेंगे भी नही आपने साफ कर दिया इस मसले को। मुझे खुशी है। हमको कुछ उम्मीद थी कांग्रस वालों से अब तो वो उम्मीद भी मिट गई। आपने साफ कर दिया चार छ. महीने ही में कि उर्दू का कोई मुकाम नहीं है--ये बेकार है। दस्तूर या आईन जो बनाया है--मोरारजी भी यही कहते हैं और चौधरी चरण सिंह भी यही कहते हैं हमारे आईन में उर्दू को जो हक दिया गया है वह नहीं मिलता है। तालीम का सवाल बाद में आता है। एक और हिन्दू लीडर थे जो गांधी जी के बाद आये और हमारे दिल में बहुत उनकी इज्जत है। वो साफ बात करते थे, खरी बात करते थे वह राजाजी हैं। राजाजी ने 6 जनवरी, 1971 को कहा था कि उर्दू के साथ बड़ी बेइन्साफी हुई है और यह बेइन्साफी हमारे

दामन पर बड़ा धब्बा है, दाग है—यह असेम्बली का फैसला गांधी जी की मन्शा के खिलाफ है । कांग्रेस की तजावीज के खिलाफ है । इतने बड़े मुल्क के लिए जो रूस को छोड़कर पूरे यूरोप के बराबर है कतई नामुनासिब है । दुनियां में 43 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी दो या तीन सरकारी जुबानें हैं । स्विटज़रलैण्ड कितना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी चार जुबानें हैं । फ्रैंच, जर्मन, इतालवी और रोमांश—ये सरकारी जुबानें हैं । इसमें रोमानश के 50 हजार से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं मैं चाहता हू कि हिन्दुस्तान की चौदह जबानों को सरकारी जुबान का दर्जा मिलना चाहिये । गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की ताईद की थी । गांधी जी के मारे जाने से जुबान का सवाल नहीं मर गया। यह फिर उभरेगी । उर्दू देश की छठी जुबान है । चार करोड़ लोग इसके बोलने वाले हैं—मैं एक बात आपसे कहूंगा—शाह आलम बहादुरशाह को जब गुलाम कादिर रोहल्ले ने अन्धा कर दिया तो माधोजी सिंधिया ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया । इस मौके पर मुझे शाह आलम का एक शेर याद आ रहा है । "माधो जी सिंधिया पारजद जिगर बन्देमन हस्त" । ये मेरी औलाद के बराबर हैं, मेरी हिफाजत कर रहा है आज उर्दू का यही हाल है उर्दू को मरहटे पाल रहे हैं उर्दू के लिए कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं है । सिर्फ महाराष्ट्र में उर्दू के इतने कालिज और इतने टीचर्स हैं जितने सारे हिन्दुस्तान में नहीं हैं । उर्दू के मुत्तलक उनका दिमाग साफ है । उन्हें अपनी जबान पसन्द है लेकिन वे उर्दू को भी हिन्दुस्तान की जबान मानते हैं । उर्दू का जन्म यहीं हुआ है और मराठी का भी जन्म यहीं हुआ है । महाराष्ट्र में हमें कुछ और शिकायतें हैं लेकिन जबान के मामले में महाराष्ट्र का रवैया साफ है । हमारी जो उर्दू एकेडमी है उसके सदर हमारे चीफ मिनिस्टर बसन्त दादा पाटिल हैं लेकिन आपकी यू० पी० में उर्दू एकेडमी टूट गई है । वहां के लोगों ने रिजाइन कर दिया है और उसमें अब हिन्दी वाले भर्ती हो रहे है । वे भी खत्म हो जायेंगी । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की 14 जुबानों की तरह उर्दू को भी हक दिया जाये । मुझे बड़ा अफसोस और दुःख होता है जब मैं बड़े बड़े जिम्मेदार मिनिस्टरों के बयानात और तकरीरें उर्दू के मसलों पर पढ़ता हूं । जो सब लोग यहां बैठे हुए हैं इस बात को जानते हैं कि जो बयानात और तकरीरें निकलती हैं उनको किसी ने कंट्रिडिक्ट नहीं किया है । ये चौधरी चरण सिंह का इंटरव्यू है और उन्होंने अपने इल्म का इसमें इजहार किया है । मैं कहता हू कि कम से कम बाहर के मुल्कों में तो आप अपने को बदनाम न कीजिये । हिन्दुस्तान की तारीख में उर्दू की क्या जगह है ? इस बात से हिन्दुस्तान के लोग और इंगलिस्तान के लोग सभी वाकिफ हैं मगर अब एक बात साफ हो गई कि आप लोगों ने जुबान का मसला साफ कर दिया । अब उर्दू वालों को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए । मैं उर्दू वालो को कहता हूं कि भई घेराव न करो न कोई सत्याग्रह करो और न कोई ऐसा काम करो जो कानून के खिलाफ हो लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है जिन लोगों ने कांग्रेस को कुर्सी पर बिठाया था उन्हीं लोगो ने कांग्रेस के खिलाफ अपना वोट दिया क्योंकि कांग्रेस ने उर्दू के साथ इन्साफ नहीं किया अब आप लोग आये हैं और आपने इस तरह के एलान किये हैं इसलिये आप लोग भी नहीं रहेंगे । आपकी पालिसी क्या है ये बात हमारी समझ में नहीं आती । किसी ने ठीक ही कहा है कि उन्नीस मिनिस्टर नहीं हैं उन्नीस प्राइम मिनिस्टर हैं । हर आदमी का अपना दिमाग है और हर आदमी पालिसी डिक्लेरेशन देता रहता है । कुछ लोग कहते रहते हैं अरे भई यह बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

कि उर्दू के बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर की बात न मानें तो फिर किसकी बात मानें। चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी बात न मानें तो क्या फिर आपकी बात मानें? उन्होंने खुद ये बातें कही हैं। जुबान के मानने न मानने का सवाल नहीं है। इसमे हिन्दी वालों की मंजूरी का भी सवाल नहीं है। ये कह दिया जाता है कि 85 फीसदी हिन्दी वाले हैं। अगर वो उर्दू नहीं मानेंगे तो किस तरह उर्दू यू० पी० की सरकारी जुबान बन सकती है। यह हिन्दी वालों का सवाल नहीं है वह तो कयामत तक भी नहीं कहेंगे। उनके सरपरस्त तो आप यहां बैठे हुए हैं सवाल यह कि आप कांस्टीटुशन की 347 वीं दफा भी नहीं पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह अगर इसको नहीं समझ सकते तो उनके पास तो बड़े बड़े लायक लोग हैं सेक्रेटरीज हैं जो कानून के माहिर हैं उनसे इस दफे के मायने आप समझ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भी अब अपना हिसाब देना पडेगा। अब तक सबसे हिसाब ले लिया गया है। जुबान के मामले में कांग्रेस मे भी हमने हिसाब लिया है।]

तीन सबसे बड़े महकमे हैं। एक होम मिनिस्टरी, एक इनफारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टरी और एक एजूकेशन मिनिस्टरी है। इन तीनो ने मिल कर उर्दू को बर्बाद किया है। मुझे याद है कि कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में जिसमें गुजराल साहब और दूसरे प्रेस के लोग भी शामिल थे इन्दिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। मैं ने उनसे कहा कि हम आपसे उर्दू की तारीफ सुनते सुनते थक गये। अब उसके लिए कुछ कीजिए। गुजराल साहब ने कहा कि उर्दू एक बड़ी जुबान है हमारी हकूमत उसको आगे बढ़ायेगी लेकिन मैंने इन्दिराजी से कहा कि आपका हुक्म हर महकमे में चलता है सिर्फ रेडियो डिपार्टमेंट में और इनफार्मेशन ब्राडकास्टिंग के महकमे में नहीं चलता है। गुजराल साहब ने कहा कि उर्दू के साथ एक तारीखी ट्रैजेडी है। वज्द साहब जो इतराज़ कर रहे हैं वो सही है। भई हम तो किसी को नहीं बख्शते। किसी को नहीं बख्शेंगे इसलिए नहीं कि उर्दू मेरी जुबान है। मैं इसका शायर हूं बल्कि इसलिए कि यह हिन्दुस्तानी जुबान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajid, I think you have to stop now.

**श्री सिकन्दर अली वज्द** : दो मिनट और लूंगा। मैं उर्दू का आदमी हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वह सोच समझ कर कह रहा हूं। हमारे पास गालिब और इकबाल बडे शायर हैं। मैंने गालिब का दीवान देवनागरी में लिखा हुआ एक साउथ इण्डियन को पढ़वाया। मैं उनकी हिन्दी पढ़ता हूं

[किसे खबर कि हजारों मकाम रखता है—
वो फिक्र जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी।
†[किसे खबर कि हजारों मुकाम रखता है।
वह फिक्र जिसमें है बे परदा रूह कुरानी है।]

दूसरा शेर है--

[मेरे मीनाये गज़ल में थी ज़रा सी बाकी
शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐ साकी
†मेरी मीनाये गज्ल में थी ज़रासी बाकी।
शेख कहता है कि यह भी है हराम ऐ साकी।]
क्या वो नमरूद की खुदाई थी—
क्या वो नमोरद की खुदाई थी
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता

एक शेर इकबाल का है। आप उर्दू समझते होंगे। सभी हिन्दी वाले उर्दू समझते हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं समझते;

अगर खो गया एक नशेमन,
तो क्या ग़म मुकामाते आहो
फुगां और भी हैं।
†[अगर खो गया एक नशेमन,
तो क्या ग़म
मुकामात आहा फ़ुगां और भी है।]

तो मैं यह कहता हूं कि खत के साथ जुबान का गहरा ताल्लुक है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आटोबाईग्राफी में लिखा है। हर जबान की एक लिपि यानि एक रस्म-उलखत होता है। लिपि के साथ जबान का जिस्मोजान का ताल्लुक होता है। जब लिपि बदल जाती है तो लफ्ज बदलते है और उनकी शक्ल बदल जाती है और उनके मायने बदल जाते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आऊट डेटिड हो गये अब हालात बदल गये है। पहले जो लोग यहां बैठत थे वो आज मिनिस्टर हो गये हैं। उर्दू का एक शेर है--

ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गये
कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गये।

उर्दू बडी मुश्किल जबान है जैसे सुबह होती है शाम होती है। उम्र यूं ही तमाम होती है। मैंने 20 साल में अजंता पर नज्म लिखी और 10 बरस में एलोरा पर नज्म लिखी क्या अजंता और एलोरा हिन्दी वालो ने नहीं देखे थे ?

**श्री श्रीकान्त वर्मा** : मैं उर्दू के फेवर में बोलने वाला हू। आप हिन्दी की मखौल उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं। उर्दू का हिन्दी का कोई झगड़ा नहीं है।

**श्री सिकन्दर अली वज्द** : मुखालफत की बात नहीं है। जो दूसरे के जबान की इज्जत नहीं करता वो अपनी जबान की भी इज्जत नहीं करता। मैं किसी जबान की बेइज्जती नहीं कर रहा हुं आप मे मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जो उर्दू का हक है जो इसको कानून ने दिया है जो दस्तूर ने दिया है वो आप इसको दीजिये। उर्दू वाले आपकी सरपरस्ती आपकी मेहरबानी नहीं चाहते--सिर्फ इंसाफ चाहते है। मुझे उम्मीद है आप अपने बुजुर्ग श्री मोरारजी देसाई और आलम फ़ाजल चरण सिंह जी को भी यह बात समझा देंगे। ये हंसने की बात नहीं है। मैं कहुंगा कि मेरी बात अगर इन्हें नापसन्द है तो गुस्सा कर सकते हैं लेकिन यह हंसने का मौका नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Now, before I call the next speaker, I may inform the House that it has been agreed that the House will sit beyond 5.30 and the Minister will reply at 5.30. This has been agreed to between the two Whips. So, I now call Mr. Shrikant Verma. I am allowing 8 to 10 minutes, otherwise, we would not be able to finish by that time.

SHRI SHRIKANT VERMA: Yes, I would not take even that much time.

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं मुझे श्री सिकन्दर अली वज्द साहब का जो टोन था वह पसन्द नहीं आय . . . (*Interruptions*) उसमें थोड़ा यह लगा जैसे कि हिन्दी और उर्दू के बीच कोई झगड़ा है या हिन्दी एक इनफीरियर भाषा है ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं उर्दू के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सारा समय मैं उर्दू के पक्ष में ही बातें कहना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, उर्दू के बारे में एक मसल है, आती है उर्दू जबां आते आते। और 300 साल में हिन्दुस्तान में एक बहुत उम्दा और नफ़ीस जबान बनी जिसको कि उर्दू का नाम दिया गया और इस भाषा ने बहुत बड़े शायर और कवि पैदा किये ग़ालिब, मीर, सौदा, और इक़बाल। और इस भाषा के साहित्य की परम्परा पर हम सबको नाज़ है। जिन्हें नाज़ नहीं है उनको भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उर्दू इस देश की भाषा है, उसकी जबरदस्त परम्परा है। आज अगर हिन्दी भाषा एक जिन्दा भाषा है तो इसका श्रेय उर्दू को भी है क्योंकि उर्दू ने हिन्दी को भी किसी हद तक प्रभावित किया है, मार्डन हिन्दी को। मैं हिन्दी का कवि और लेखक हूं। मैं जो जबान लिखता हूं या इस सदन में भी जो कुछ बोलता हूं उस पर उर्दू का बहुत जबर्दस्त प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं उपसभाध्यक्ष महोदय 14 जुलाई, 1958 को भारत सरकार

[श्री श्री कान्त वर्मा]

ने लैंग्वेज पर, भाषा पर जो वक्तव्य दिया था, उसे ही पूर्वाग्रह पर आधारित मानता हूं। उसमें उर्दू को, उस स्टेटमेंट मे एवेरियेशन आफ हिन्दी बताया गया है। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं मानता। मैं यह नहीं मानता कि उर्दू ज़बान केवल एक वेरियेशन है हिन्दी का क्योंकि उर्दू वाले भी कह सकते हैं और कहते रहे हैं कि हिन्दी उर्दू का वेरियेशन है इसलिए इस विवादास्पद सवाल पर तटस्थ दृष्टिकोण न अपना कर पक्षधर दृष्टिकोण अपना कर भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने गलती की थी और उसके बाद उसी स्टेटमेंट मे काफी कुछ लीपा-पोती की गई और यह बताया गया कि उर्दू की तरक्की के लिए यह सब किए जाएंगे। लेकिन बुनियादी सवाल से उसी समय कतरा दिया गया और वह बुनियादी सवाल यह था कि जब तक उर्दू उसी तरह प्रशासन की भाषा नहीं बनती जिस तरह कि हिन्दी या कोई और भाषा तब तक उसकी तरक्की नहीं हो सकती। उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल लेखकों, साहित्यकारों को कुछ अवार्ड देने से कुछ किताबों की उम्दा जिल्द छप जाने से कुछ लाइब्रेरियों मे कुछ शेरो-शायरी की, किताबें पहुंचा देने से किसी ज़बान को मान्यता नहीं मिलती। उसको मान्यता मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। जब तक वहां मान्यता नहीं मिलती तब तक लोग अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय मानेंगे। मैं तो इस मामले में हिन्दी के लिए भी यही कहूंगा। लोग आज हिन्दी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के बजाय अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं उस का भी यही कारण है। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी हटने वाली नहीं है और हिन्दी का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए बच्चों को हिन्दी स्कूलों में भेजना फिजूल है। हिन्दी से कहीं ज्यादा अंधकारमय भविष्य उर्दू का है। अच्छा तो यह होता, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि उर्दू कम से कम तीन राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तो अच्छा होता कि उसी समय उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता। हमारे मन्त्री महोदय का ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से रहा है और मेरा भी कुछ थोडा सा ताल्लुक डा० लोहिया से रहा है। सन 1967 मे मुझे याद आता है कि डाक्टर लोहिया ने टिप्पणी की थी कि उर्दू को बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद डाक्टर लोहिया की प्रेरणा से ही मैंने यहां हिन्दी लेखकों का एक सम्मेलन इस दिल्ली में बुलाया इस बात के समर्थन के लिए कि इन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाय। खैर वह लेखकों का सम्मेलन था। उससे क्या होता? लेकिन सरकार तब से लेकर आज तक कतराती रही है और यह तर्क जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य मे कहा कि पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उर्दू को द्वितीय राज-भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। क्योंकि सेंसस के जो फिगर हैं वह डिपेंडेबुल, प्रमाणिक मुझे नहीं लगते क्योंकि सेसंस के लोग जहां पर भी इस तरह के सवाल करते हैं, वह बात मुझे उर्दू वालों ने, मुसलमानों ने खास कर बतायी कि वे हमारी भाषा को हिन्दी लिख लेते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि उर्दू और हिन्दी एक ही भाषाएं हैं। बुनियादी तौर पर हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिन्दी और उर्दू अलग अलग हैं क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग है और जब तक स्क्रिप्ट अलग अलग रहेगी तब तक भाषा भी अलग अलग रहेगी। सेंसस के आंकड़े या फिगर गलत हैं अगर सेंसस सही भी है तो शासन तर्क से नहीं चलता है तर्क बदला जा सकत है। उर्दू जबान बोलने वालों की भाव-नाओं को समझते हुए और कितनी असुरक्षा में इन सिक्योरिटी में रह रहे हैं इसको देखते हुए, सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए और उर्दू को कम से कम इन तीन राज्यों में दूसरी राजभाषा का दर्जा देना चाहिए।

इसके अलावा टैस्टबुकों की बात भी कही गयी इस रिपोर्ट में कि पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो कि खुद इन्हीं इलाकों से आये हुए हैं, जैसे एक छोटे से शहर को लिया जा सकता है अगर वहां कोई अपने बच्चे को उर्दू में स्कूल में शिक्षा देना चाहता है तो पहले तो वहां उर्दू की व्यवस्था ही नहीं है। अगर व्यवस्था है भी तो यह दिखा दिया जायगा कि पुस्तकें नहीं हैं, पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो ऐसी हालत में हम कैसे उम्मीद करते है कि लोग अपने बच्चों को उर्दू के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नतीजा यह हुआ है कि जिनके खानदान में 300 साल से उर्दू बोली जाती थी जब आज उनसे पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है तो वह कहते हैं कि हिन्दी। क्योंकि वे सोचते हैं कि हिन्दी कहने में ही सुरक्षा है। हो सकता है कि वह दिन भी हमें देखना पड़े कि मुसलमान 10 साल बाद अगर उससे पूछा जाय कि आपका धर्म क्या है तो शायद उसे जवाब देना पड़े कि हिन्दू। एसी नौबत न आये कि किसी को डर के मारे या भयवश अपने धर्म या अपनी भाषा को झुठलाना पड़े। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कांग्रेस शासन की बात भूल जायें। यह राजनीति का सवाल नहीं है। यह सवाल सामाजिक और ऐतिहासिक है और उसको सुधारें, तथा जो भी उसकी जरूरियात हों उनको पूरा करें। आज अगर उर्दू थोड़ी बहुत कहीं जिन्दा है तो पुलिस थानों में जिन्दा है क्योंकि पुलिस थानों में अब भी रपट या एफ० आई० आर० जिसको कहते है वह हिन्दी या उर्दू में ही लिखी जाती है। यह एक अजीब बात है कि उर्दू को जगह भी मिली तो कहां? कोतवाली में और बाजारों में। लेकिन उर्दू को आज प्रशासन में जगह नहीं है, क्योंकि प्रशासन में पहला स्थान अंग्रेजी का है और दूसरा स्थान हिन्दी का। झगड़ा हिन्दी और उर्दू का नहीं है। बल्कि झगड़ा तमाम भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का है और इस सवाल को डाक्टर लोहिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ देश के सामने रखा था।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी के लोग अक्सर यह तर्क देते हैं और इस रिपोर्ट, स्टेटमेंट आफ लैन्गुवेजज में भी यह स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि यह हिन्दी का एक वैरियेशन है। अगर उर्दू ज़ुबान हिन्दी का ही एक प्रकार है तो मैं यह तर्क करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि हिन्दी के लोग गालिब, मीर, सौद, इकबाल और फिराक को अपने कवि के रूप में नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं इन्हें अपनी परम्परा के रूप में स्वीकार करते, क्यों नहीं स्कूलों और कालेजों में इन कवियों को पढ़ाया जाता है। जब उन्हें पढ़ाने का सवाल आता है तब ये कतरा जाते हैं लेकिन वैसे कहने को तर्क वह देते है कि उर्दू हिन्दी का ही एक प्रकार है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आदर्श स्थिति तो यह होती कि यह विवाद ख़त्म होता, एक ही ज़ुबान होती——हिन्दुस्तानी। लेकिन ज़ुबान बनाने से नहीं बनती है। ज़ुबान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चार आदमी मिल जायें तो ज़बान बन जाये और बिगड़ जाये। ज़बान अपने आप बनती बिगड़ती है। तो उर्दू के साथ ही दूसरा सवाल सिंधी का भी जुड़ा हुआ है जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। सिंधी भाषा बेघरबार लोगों की भाषा मानी जाती है और उसके विकास के लिए पिछले 30 वर्षों में लगभग कुछ नहीं हुआ। उर्दू के लिए तो फिर भी थोड़ा-बहुत हुआ है। उर्दू के लिए कुछ शोर-गुल होता रहता है। द्वेष है उर्दू के प्रति लोगों के मन में लेकिन फिर भी कुछ हल्लागुल्ला करने से या वोट वगैरह लेने के लिए कुछ थोड़ा उर्दू के लिए कर देते है। लेकिन सिंधी भाषा के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं उनके लेखकों को जानता हूं और साहित्यकारों को जानता हूं कि वे किस हालत मे रह रहे हैं। इससे मैं कल्पना कर सकता हूं उनके बोलने वालों की हालत क्या होगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, सिंधी केवल

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

व्यापारियों की भाषा नहीं है। कोई भी भाषा केवल व्यापारियों और धनियों की भाषा होकर नही बनी रहती है, उसके साथ संस्कृति होती है। उसके साथ संस्कृति जुड़ी होती है। इस युग के भाषा-शास्त्री नोम चाम्सकी ने यह बात बार-बार कही है कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से इन्फीरियर नही होती क्योंकि उसमें सारी संभावनाएं होती हैं। सारा सवाल उसके विकास का होता है और यह बात नोम चाम्सकी ने तब कही जब कि कुछ अफ्रीकी भाषाओं के बारे में सवाल उठा और उन्होंने कहा, कुछ लोग यह मानते हैं कि अफ्रीकी लोग अपना साहित्य नही रच सकते। तब इसका उत्तर देते हुए चाम्सकी ने कहा कि अफ्रीकी भाषा भी उतनी ही विकसित है जितनी दूसरी भाषाएं हैं। उनमें सारी संभावनाएं हैं। उनमें कई ऐसे सिम्बल्स हैं जो अंग्रजी में नही मिलते। फ्रेन्च में नही हैं, जर्मन में नही हैं और यह सही है कि उन्हें बहुत से सिम्बल जो लेने पड़े हैं वे अफ्रेकी भाषाओं से लेने पड़े हैं और इसका नाम उन्होंने "नीग्रीट्यू" रखा है। इसलिए किसी भी भाषा को मानने के लिए उसकी सामाजिक परंपरा को समझना चाहिए। मैं विशेष रूप से सिंधी के लिए आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बेघरबार लोगों की जबान केवल एक बेघरबार जबान होकर न रह जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Before I call the next speaker, Mr. Shahi, the Minister for Finance wants to make a brief statements—only statement, on discussion on that—on Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

---

## STATEMENT BY MINISTER

### Natural Calamity in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and grant of Central Relief

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir, as the hon. Members if this House are aware a serious calamity has befallen two of the States of the Union—Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Large-Scale damage to life and property has occurred in many districts of these two States as a result of two severe cyclones. The total extent of the damage will be assessed in due course and it is the Central Government's intention to provide appropriate assistance to the two States. In the meanwhile, as a measure of emergency relief the Central Government has decided to sanction immediately an advance of Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

AN HON. MEMBER: Rs. 5 crores to each?

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Rs. 5 crores to Andhra Pradesh. I am sure the Members of this House will join me in conveying to our brothers and sisters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh our deepest sympathy in their difficult moment.

---

## MOTION RE. FIFTEENTH AND SIXTEEN REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Shahi eifiht to ten minutes.

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने उर्दू को अपने मुसलमान भाइयों के साथ जोड़ने की कोशिश की है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात